**भारतीय रिज़र्व बैंक**

**सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग**

**अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रभाग**

**भारत में म्युचुअल फंड (एमएफ) कंपनियों और उनके परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) की विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर सर्वेक्षण**

**अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू)**

**सामान्य निर्देश**

भारत में म्युचुअल फंड (एमएफ) कंपनियों और उनके परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) की विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर रिज़र्व बैंक का सर्वेक्षण वार्षिक रूप से किया जाता है। यह नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक एमएफ और एएमसी से उनकी बाहरी वित्तीय देयताओं और परिसंपत्तियों पर जानकारी एकत्र करता है। इस सर्वेक्षण से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी), अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) और अन्य संबंधित बाहरी क्षेत्र के आँकड़ों के संकलन में किया जाता है, जो देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन और जोखिमो का व्यापक लेखा-जोखा विश्व स्तर पर तुलनीय सांख्यिकीय ढांचे में प्रदान करते हैं।

**गोपनीयता खंड:** रिज़र्व बैंक केवल समग्र स्तर पर सर्वेक्षण परिणाम जारी करता है और प्रश्नावली में प्रस्तुत संस्थान-वार डेटा को गोपनीय रखा जाता है।

नोट: **प्रतिउत्तर देने वाली कंपनी को आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध** [**सर्वेक्षण प्रश्नावली**](https://website.rbi.org.in/documents/87730/39711226/ModifiedFLAMF02062025_Hindi.xls) **को Excel प्रारूप (\*.xls प्रारूप) में भरना चाहिए। उत्तरदाताओं से अनुरोध है कि सर्वेक्षण प्रश्नावली भरने से पहले निर्देश पत्रक (सर्वेक्षण प्रश्नावली में उपलब्ध) को ध्यान से पढ़ लें।**

**महत्वपूर्ण बिंदु:** प्रतिउत्तर देने वाली कंपनी को सर्वेक्षण प्रश्नावली भरते और जमा करते समय नीचे दिए गए बिंदुओं को पढ़ना चाहिए:

(i) कंपनी को नवीनतम सर्वेक्षण प्रश्नावली का उपयोग करना चाहिए, जो किसी मैक्रो को शामिल किए बिना .xls प्रारूप में हो।

(ii) कंपनी को सर्वेक्षण प्रश्नावली को Excel 97-2003 वर्कबुक यानी .xls फॉर्मेट में सेव करना चाहिए।

नीचे दिए गए चरणों का पालन करके:

क) ऑफिस बटन/ फाइल पर जाएं → सेव ऐज़ → सेव ऐज़ टाइप

ख) "Excel 97-2003 वर्कबुक" चुनें और सर्वेक्षण प्रश्नावली को .xls फॉर्मेट में सेव करें।

(iii) कंपनी से अनुरोध है कि सर्वेक्षण प्रश्नावली को प्रस्तुत करते समय किसी मैक्रो को शामिल न करें।

(iv) किसी अन्य प्रारूप (.xls प्रारूप के अलावा) में प्रस्तुत किए गए सर्वेक्षण प्रश्नावली को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(v) सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण प्रश्नावली में दी गई सभी जानकारी पूर्ण हैं और कोई जानकारी छूटी नहीं है।

(vi) भाग I और II भरने के बाद, कंपनी को घोषणा पत्र भरना है, जो सत्यापित करने में मदद करती है कि आरबीआई को जमा करने से पहले कंपनी द्वारा दर्ज की गई जानकारी की पुन: पुष्टि की गई है। यह डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, छूटे हुए डेटा और अन्य त्रुटियों से बचने में मदद करता है।

**1. आरबीआई किस महीने में एमएफ सर्वेक्षण शुरू करता है?**

**उत्तर:** आरबीआई हर साल जून के महीने के दौरान एमएफ सर्वेक्षण शुरू करता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्त में अंत-मार्च संदर्भ तिथि के रूप में होता है।

**2. इस सर्वेक्षण की आवृत्ति क्या है?**

**उत्तर:** सर्वेक्षण वार्षिक रूप से संचालित किया जाता है।

**3. कौन सी संस्थाओ को सर्वेक्षण में भाग लेने की आवश्यकता हैं?**

**उत्तर:** भारत में **म्युचुअल फंड (**एमएफ) कंपनियों को इस सर्वेक्षण में भाग लेने की आवश्यकता हैं।

**4. एमएफ कंपनी एमएफ सर्वेक्षण प्रश्नावली आरबीआई को कैसे प्रस्तुत करती है?**

**उत्तर:** एक बार सर्वेक्षण शुरू किए जाने के बाद,एमएफ कंपनियों को आरबीआई से Excel प्रारूप में [सर्वेक्षण प्रश्नावली (प्रश्नावली-4)](https://website.rbi.org.in/documents/87730/39711226/ModifiedFLAMF02062025_Hindi.xls) की सॉफ्ट कॉपी के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा ।कंपनी को इस सर्वेक्षण प्रश्नावली का उपयोग विवरण भरने के लिए करना चाहिए। Excel प्रारूप (.xls प्रारूप) में भरे हुए [सर्वेक्षण प्रश्नावली (प्रश्नावली-4)](https://website.rbi.org.in/documents/87730/39711226/ModifiedFLAMF02062025_Hindi.xls) को ईमेल द्वारा [mf@rbi.org.in](mailto:mf@rbi.org.in) पर भेजा जाना चाहिए। एमएफ सर्वेक्षण प्रश्नावली के साथ कोई अन्य संलग्नक प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए।

**5. अगर एमएफ कंपनी को ईमेल से सर्वेक्षण प्रश्नावली की सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए?**

**उत्तर:** यदि एमएफ कंपनी को प्रश्नावली-4 की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त नहीं होती है, तो वे इसे आरबीआई की वेबसाइट पर शीर्ष 'विनियामक रिपोर्टिंग' 🡪 '[रिटर्न की सूची](https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/home/regulatory-reporting)' 🡪 FLA MF - Survey Schedule - सर्वेक्षण प्रश्नावली' के तहत [या शीर्ष ‘[फॉर्म](https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/forms)’ के अंतर्गत (होम पेज के नीचे उपलब्ध) और उप-शीर्ष ‘**सर्वेक्षण**’ के अंतर्गत उपलब्ध है या ई-मेल: [mfquery@rbi.org.in](mailto:mfquery@rbi.org.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

**6. म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा एमएफ सर्वेक्षण प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है?**

**उत्तर:** म्युचुअल फंड कंपनियां प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई या उससे पहले [प्रश्नावली-4](https://website.rbi.org.in/documents/87730/39711226/ModifiedFLAMF02062025_Hindi.xls) (Excel प्रारूप) के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकती हैं।

**7. परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) द्वारा एमएफ सर्वेक्षण प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है?**

**उत्तर:** परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को आरबीआई के ऑनलाइन वेब-आधारित पोर्टल 'FLAIR' जिसका लिंक <https://flair.rbi.org.in> है, के माध्यम से विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक जमा करना आवश्यक है।

**8. एएमसी डेटा को कैसे रिपोर्ट करती हैं/ आरबीआई को एफएलए रिटर्न कैसे जमा करती हैं?**

**उत्तर:** विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 [आरबीआई परिपत्र: [A.P. (DIR Series) Circular No. 45 dated March 15, 2011](https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/notifications/introduction-of-annual-return-on-foreign-liabilities-and-assets-reporting-and-discontinuation-of-part-b-of-form-fc-gpr-6286)] के तहत उन सभी भारतीय कंपनियों के लिए जिन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है और/या विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश किया है, को एफएलए पर वार्षिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। ईकाइयाँ ऑनलाइन वेब-आधारित पोर्टल <https://flair.rbi.org.in> के माध्यम से एफएलए पर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत कर सकती हैं।

एफ़एलए पर वार्षिक रिटर्न की ऑनलाइन वेब-आधारित रिपोर्टिंग के लिए सभी चरण उपयोगकर्ता नियमावली में दिए गए हैं। इकाई को आगे के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को पढ़ना चाहिए:-

(क) "एफएलए उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म" पर उपयोगकर्ता पुस्तिका।

(ख) एफएलए रिटर्न दाखिल करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया के लिए सभी अनुभागों के लिए "एफएलए पर वार्षिक रिटर्न" की रिपोर्टिंग पर उपयोगकर्ता पुस्तिका।

(ग) एफएलए के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।

**9. एमएफ सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि क्या है?**

**उत्तर:** एमएफ सर्वेक्षण दौर की संदर्भ अवधि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) है।

**10. यदि एमएफ कंपनी/एएमसी के पास संदर्भित अवधि के दौरान विदेशी देयता और परिसंपत्ति नहीं है, तो क्या उन्हें सर्वेक्षण में भाग लेने की आवश्यकता है?**

**उत्तर:** यदि एमएफ कंपनी/एएमसी के पास संदर्भित अवधि के दौरान विदेशी देयता या परिसंपत्ति नहीं है, तो उस कंपनी को एमएफ सर्वेक्षण के साथ-साथ फ्लेयर पोर्टल पर एफएलए फॉर्म का **‘कुछ नहीं’** रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है।

**11. क्या कंपनी को एमएफ सर्वेक्षण प्रश्नावली** **जमा करने की पावती मिल सकती है??**

**उत्तर:** विधिवत भरे हुए और वैध एमएफ सर्वेक्षण प्रश्नावली (Excel आधारित) को [mf@rbi.org.in](mailto:mf@rbi.org.in) पर भेजने के बाद, एमएफ कंपनी को सिस्टम जनरेटेड पावती प्राप्त होगी। इस संबंध में अलग से कोई मेल नहीं भेजा जाएगा। यदि पावती में कुछ त्रुटि का उल्लेख किया गया है, तो प्रतिवादी को उल्लेखित त्रुटि को सुधार कर फॉर्म को फिर से जमा करना होगा। सुधार के बाद, कंपनी को एक सफल प्रसंस्करण पावती प्राप्त करनी चाहिए।

**12. यदि कंपनी की तुलन पत्र जमा करने की देय तिथि से पहले ऑडिट नहीं की जाती है तो एमएफ सर्वेक्षण में क्या जानकारी दी जानी चाहिए?**

**उत्तर:** यदि कंपनी के खातों को देय तिथि अर्थात 15 जुलाई से पहले ऑडिट नहीं किया जाता है, तो एमएफ सर्वेक्षण प्रश्नावली गैर-लेखापरीक्षित (अनंतिम) खाते के आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**13. ऐसे मामले में जहां एमएफ कंपनी/एएमसी की खाता बंद करने की अवधि संदर्भित अवधि (मार्च अंत) से अलग है तो क्या वह खाता बंद करने की अवधि के अनुसार जानकारी की रिपोर्ट कर सकते हैं?**

**उत्तर:** नहीं, भले ही किसी कंपनी की खाता बंद करने की अवधि, संदर्भ अवधि (मार्च के अंत) से अलग हो। एमएफ सर्वेक्षण की जानकारी कंपनी के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सर्वेक्षण संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट की जानी चाहिए।

**14. घातक और गैर-घातक त्रुटियों की सूची उनके विवरण के साथ प्रदान करें।**

**उत्तर:** कृपया नीचे दी गई तालिका देखें जिसमें त्रुटि कोड (घातक त्रुटि, गैर-घातक त्रुटि) उनके विवरण के साथ हैं। यदि प्रतिवादी को घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो इसे नीचे उल्लिखित घातक त्रुटि संदेश/विवरण का अध्ययन करना चाहिए और तदनुसार अपने डेटा को संशोधित करना चाहिए । संशोधित डेटा [mf@rbi.org.in](mailto:mf@rbi.org.in) पर पुनः सबमिट किया जा सकता है। यदि कंपनी को किसी गैर-घातक त्रुटि कोड के साथ संसाधित डेटा की पावती मिलती है, तो उल्लेखित त्रुटियों का औचित्य/स्पष्टीकरण ईमेल द्वारा [mfquery@rbi.org.in](mailto:mfquery@rbi.org.in) पर, संशोधित डेटा, यदि लागू हो, के साथ [mf@rbi.org.in](mailto:mf@rbi.org.in) पर प्रदान करने की आवश्यकता है ।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **म्युचुअल फंड त्रुटि कोड और विवरण** | | |
| **मानदंड** | **त्रुटि कोड** | **विवरण** |
| **घातक त्रुटियां** | | |
| 1 | यदि अनुभाग I के ब्लॉक-I के आइटम 1.(i) में दिए गए म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम NULL है | MF\_F\_003 | म्युचुअल फंड कंपनी का नाम नहीं दिया गया है। कृपया अनुभाग I में म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम प्रदान करें। |
| 2 | यदि अनुभाग I के ब्लॉक-I के आइटम 1.(iii) में दिए गए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी का नाम NULL है | MF\_F\_004 | परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) का नाम नहीं दिया गया है। कृपया अनुभाग I में एएमसी का नाम प्रदान करें। |
| 3 | अगर म्यूचुअल फंड कंपनी का CIN नंबर खाली है या CIN की संख्या 21 अक्षर से कम है | MF\_F\_006 | अनुभाग I में अमान्य CIN नंबर दिया गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संपत्ति प्रबंधन कंपनी का सही 21-अंकीय CIN दर्ज किया गया है। |
| 4 | यदि अनुभाग I के ब्लॉक-I के आइटम 2 (i) में दिए गए संपर्क व्यक्ति का नाम NULL है | MF\_F\_007 | संपर्क व्यक्ति का नाम प्रदान नहीं किया गया है। कृपया अनुभाग I में संपर्क व्यक्ति का नाम प्रदान करें. |
| 5 | यदि अनुभाग I के ब्लॉक-I के आइटम 2 (v) में संपर्क के लिए दिए गए ईमेल आईडी NULL है | MF\_F\_008 | संपर्क व्यक्ति का ई-मेल प्रदान नहीं किया गया है। कृपया अनुभाग I में संपर्क व्यक्ति की ई-मेल आईडी प्रदान करें। |
|  | **गैर-घातक त्रुटियाँ** | | |
| 6 | कंपनी के नाम में परिवर्तन के मामले में, यदि कंपनी का पुराना नाम नहीं दिया गया है | MF\_NF\_001 | पुरानी कंपनी का नाम नहीं दिया गया है। कृपया अनुभाग I में पुरानी कंपनी का नाम प्रदान करें। |
| 7 | कंपनी के नाम में परिवर्तन के मामले में, यदि कंपनी का नया नाम नहीं दिया गया है | MF\_NF\_002 | नई कंपनी का नाम नहीं दिया गया है। कृपया अनुभाग I में नई कंपनी का नाम प्रदान करें। |
| 8 | कंपनी के नाम में परिवर्तन के मामले में, यदि परिवर्तन की प्रभावी तिथि नहीं दी गई है | MF\_NF\_003 | म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम में परिवर्तन की प्रभावी तिथि नहीं दी गई है। कृपया अनुभाग I में कंपनी के नाम में परिवर्तन की प्रभावी तिथि प्रदान करें। |
| 9 | यदि ब्लॉक 1 अनिवासी के नाम में जारी उपर बकाया रह रही यूनिटें में अंकित मूल्य विचलन 10% से अधिक है और (विचलन=(वर्तमान वर्ष की कुल अंकित मूल्य **-** पिछले वर्ष की कुल अंकित मूल्य)\*100/( पिछले वर्ष की कुल अंकित मूल्य)) | MF\_NF\_004 | ब्लॉक-1: वर्तमान सर्वेक्षण वर्ष (2024-25 दौर) में बताए गए पिछले वर्ष (मार्च 2024 के अंत) के लिए अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों का कुल अंकित मूल्य, पिछले सर्वेक्षण वर्ष (2023-24 दौर) में वर्तमान वर्ष की रिपोर्टिंग (मार्च 2024 के अंत) के साथ असंगत है। |
| 10 | यदि ब्लॉक 1 अनिवासी के नाम में जारी उपर बकाया रह रही यूनिटें में बाजार मूल्य विचलन 10% से अधिक है, | MF\_NF\_005 | ब्लॉक-1: वर्तमान सर्वेक्षण वर्ष (2024-25) में रिपोर्ट किए गए पिछले वर्ष (मार्च 2024 के अंत) के लिए अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों का कुल बाजार मूल्य पिछले सर्वेक्षण वर्ष (2023-24) में वर्तमान वर्ष की रिपोर्टिंग (मार्च 2024 अंत) के साथ असंगत है। |
| 11 | यदि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों अंकित मूल्य > 1000 (लाख रुपये में) और ब्लॉक 1 अनिवासी के नाम में जारी उपर बकाया रह रही यूनिटें में विचलन 50% से अधिक है | MF\_NF\_006 | ब्लॉक-1: अनिवासी द्वारा धारित यूनिट के अंकित मूल्य में पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में ज्यादा विचलन है। |
| 12 | यदि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों में बाजार मूल्य > 1000 (लाख रुपये में) और ब्लॉक 1 अनिवासी के नाम में जारी उपर बकाया रह रही यूनिटें में विचलन 50% से अधिक है | MF\_NF\_007 | ब्लॉक-1: अनिवासी द्वारा धारित यूनिट के बाजार मूल्य में पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में ज्यादा विचलन है। |
| 13 | यदि XX (कोई विशिष्ट देश नहीं) और IN (भारत) के लिए डेटा का योग ₹50,000 लाख से अधिक है और ब्लॉक 1 अनिवासी के नाम में जारी उपर बकाया रह रही यूनिटें (कॉलम 6) में वर्तमान सर्वेक्षण वर्ष के कुल से इसका अनुपात 50% से अधिक है | MF\_NF\_008 | ब्लॉक-1: अनिवासी द्वारा धारित यूनिट के अंकित मूल्य के लिए विदेशी देश के नाम के बजाय "कोई विशिष्ट देश नहीं और भारत " चुना गया है। |
| 14 | यदि विदेशी देयताओं का विचलन ब्लॉक 2 अन्य विदेशी देयताएँ में 10% अधिक है | MF\_NF\_009 | ब्लॉक-2: वर्तमान सर्वेक्षण वर्ष (2024-25 दौर) में रिपोर्ट किए गए पिछले वर्ष (मार्च 2024 अंत) के लिए अन्य विदेशी देयताएँ पिछले सर्वेक्षण वर्ष (2023-24 दौर) में वर्तमान वर्ष की रिपोर्टिंग (मार्च 2024 अंत) के साथ असंगत हैं। |
| 15 | यदि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों के लिए विदेशी देयताएँ > 1000 (लाख रुपये में) और ब्लॉक 2 अन्य विदेशी देयताएँ में विचलन 50% से अधिक है | MF\_NF\_010 | ब्लॉक-2: अन्य विदेशी देयताओं में पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में अधिक विचलन है। |
| 16 | यदि ब्लॉक 3 अन्य विदेशी आस्तियां में विदेशी संपत्ति विचलन 10% से अधिक है | MF\_NF\_011 | ब्लॉक-3: वर्तमान सर्वेक्षण वर्ष (2024-25 दौर) में रिपोर्ट किए गए पिछले वर्ष (मार्च 2024 अंत) के लिए अन्य विदेशी परिसंपत्ति पिछले सर्वेक्षण वर्ष (2023-24 दौर) में रिपोर्ट किए गए वर्तमान वर्ष (मार्च 2024 के अंत) के साथ असंगत है। |
| 17 | यदि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों की विदेशी संपत्ति > 1000 (लाख रुपये में) और ब्लॉक 3 अन्य विदेशी आस्तियां में विचलन 50% से अधिक है | MF\_NF\_012 | ब्लॉक-3: अन्य विदेशी परिसंपत्तियों में पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में अधिक विचलन है। |
| 18 | यदि नीचे दिए गए सभी ब्लॉकों का योग (ब्लॉक 1 कॉलम 6 और 8, ब्लॉक 2 कॉलम 12, ब्लॉक 3 कॉलम 19) अशक्त या शून्य है | MF\_NF\_013 | कंपनी ने शून्य जानकारी दी है अर्थात कंपनी की कोई विदेशी देयताएँ और संपत्ति नहीं है। |
| 19 | यदि ब्लॉक 1 अनिवासी के नाम में जारी उपर बकाया रह रही यूनिटें में देश वर्ष (अनिवासियों के लिए यूनिट) के लिए उपलब्ध नहीं है | MF\_NF\_014\_B1 | ब्लॉक-1: ब्लॉक-1 में यूनिट धारक के निवास का देश नहीं दिया गया है। |
| 20 | यदि ब्लॉक 2 अन्य विदेशी देयताएँ में देश (देयता प्रकार) उपलब्ध नहीं है | MF\_NF\_014\_B2 | ब्लॉक-2: अनिवासी का देश (अन्य विदेशी देयताएँ) ब्लॉक-2 में नहीं दिया गया है। |
| 21 | यदि ब्लॉक 3 अन्य विदेशी आस्तियां में देश (संपत्ति प्रकार) उपलब्ध नहीं है | MF\_NF\_014\_B3 | ब्लॉक-3: ब्लॉक-3 में अनिवासी (अन्य विदेशी आस्तियां) का देश नहीं दिया गया है। |
| 22 | यदि XX (कोई विशिष्ट देश नहीं) और IN (भारत) के लिए डेटा का योग रु.50,000 लाख से अधिक है और ब्लॉक 1 अनिवासी के नाम में जारी उपर बकाया रह रही यूनिटें बाजार मूल्य के लिए(कॉलम 8) में वर्तमान सर्वेक्षण वर्ष के लिए कुल से इसका अनुपात 50% से अधिक है। | MF\_NF\_015 | ब्लॉक-1: अनिवासी द्वारा धारित यूनिट के बाजार मूल्य के लिए विदेशी देश के नाम के बजाय "कोई विशिष्ट देश नहीं और भारत" चुना गया है। |